

सार्वजनिक विज्ञापित

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या:-176/XXIII-1/2025-04(01)/2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा जारी आबकारी नीति विषयक नियमावली-वर्ष 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-45/XXIII-1/2024/ई-80688/2025 देहरादून: दिनांक 03, फरवरी, 2026 एवं आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या-22958/सात0लाई-48/ब्यव0/2026-27/ 2027-28/सा0निर्देश/ व्यवस्थापन/ देहरादून: दिनांक 03.02.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विवर्षीय) हेतु नवीनीकरण के पश्चात् अव्यवस्थापित निम्न विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम ऑफर पर नीति में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने हेतु निम्नानुसार समय सारणी निर्धारित की गयी है।

क्र० सं०	विवरण	दिनांक
1	फुटकर मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु प्रथम चरण की लॉटरी हेतु आवेदन की तिथि	18.03.2026 व 19.03.2026 सांय 5 बजे तक
2	प्रथम चरण की लॉटरी की तिथि	20.03.2026 को अपराह्न 02.00 बजे तक
3	प्रथम चरण की लॉटरी के पश्चात् अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु द्वितीय चरण की लॉटरी हेतु आवेदन की तिथि	22.03.2026 को अपराह्न 02.00 बजे से प्रक्रिया की समाप्ति तक
4	द्वितीय चरण की लॉटरी की तिथि	22.03.2026 को प्रक्रिया की समाप्ति तक
5	द्वितीय चरण की लॉटरी के पश्चात् प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर मदिरा दुकानों का आवंटन	23.03.2026 सम्पूर्ण कार्य दिवस
6	प्रथम आवक प्रथम पावक के पश्चात् अधिकतम ऑफर पर मदिरा दुकान का आवंटन हेतु आवेदन एवं आवंटन की तिथि एवं समय	24.03.2026 को प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक ऑफर प्राप्त किये जायेंगे तथा प्राप्त ऑफर को आबकारी आयुक्त के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जायेंगे।

अव्यवस्थापित विदेशी मदिरा दुकानों के राजस्व का विवरण वित्तीय वर्ष 2026-27

क्र० सं०	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुज्ञापन शुल्क (कॉलम 3 का 1%) 1000 के पूर्णांक में	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत इयूटी (कॉलम 3-4)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (EMD) (कॉलम 3 का 2%)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित हैसियत की धनराशि (कॉलम 3 का 15%)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रथम प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम 5/12)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम 5/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आराकोट	5047120	50000	4997120	100942	757068	416427	416427
2	हर्षिल/झाला	24000000	240000	23760000	480000	3600000	1980000	1980000
3	सांकरी	17915788	179000	17736788	358316	2687368	1478066	1478066

वित्तीय वर्ष 2027-28

क्र० सं०	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु कुल निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु अनुज्ञापन शुल्क (कॉलम 3 का 1%) 1000 के पूर्णांक में	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत इयूटी (कॉलम 3-4)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (EMD) (कॉलम 3 का 2%)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित हैसियत की धनराशि (कॉलम 3 का 15%)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु प्रथम प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम 5/12)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम 5/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आराकोट	5249005	52000	5197005	104980	787351	433084	433084
2	हर्षिल/झाला	24960000	250000	24710000	499200	3744000	2059167	2059167
3	सांकरी	18632420	186000	18446420	372648	2794863	1537202	1537202

.....2
(Signature)

उक्त मदिरा की दुकानों हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित समय सारणी के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों (पात्र आवेदकों) से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र, मय शपथ पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व-प्रमाणित छायाप्रति, नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र, प्रारूप (जी0-39) में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)/एफ0डी0आर0 (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत) एवं निर्धारित धरोहर धनराशि प्रत्येक वर्ष हेतु निर्धारित राजस्व के 2 प्रतिशत के बराबर (वर्ष 2026-27 व 2027-28 दोनों वर्षों के राजस्व के कुल योग के 2 प्रतिशत के बराबर धनराशि) व प्रक्रिया शुल्क रू० 65,000/- (नॉन रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आबकारी नीति घोषित होने तिथि के बाद जारी) जो कि जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी के पक्ष में देय हो सहित आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ गत 2 वर्ष का आई0टी0आर0 प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। 15 करोड़ या उससे अधिक की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 10 लाख तथा 10 करोड़ से 15 करोड़ राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 07 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 05 लाख, विगत वर्ष की आई0टी0आर0 प्रमाण-पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है।


दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार आबकारी आयुक्त/जिलाधिकारी/लाईसेंसिंग प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in अथवा www.uk.nic.in एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या- 712 /5-आबकारी/व्यव० 2026-27 व 2027-28/उत्तरकाशी:दिनांक 17, मार्च, 2026
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. उप आबकारी आयुक्त, आई0टी0 अनुभाग मुख्यालय देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को www.uk.nic.in की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 उत्तरकाशी एवं क्षेत्र-2 पुरोला को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त दुकानों के व्यवस्थापन हेतु अपने स्तर से भी व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
6. नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।


जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तरकाशी।